2022 का विधेयक संख्यांक 67

[दि स्पेशल मैरिज (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी रूपांतर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 2022

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(*2*) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

नई धारा 4क का अंतःस्थापन।

1954 का 43

2. विशेष विवाह अधिनियम, 1954, (इसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

एक ही लिंग के व्यक्तियों के बीच विशेष विवाहों का अनुष्ठापन।

''4क. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, एक ही लिंग के किन्हीं दो व्यक्तियों का इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा, यदि विवाह के समय,–

(क) यदि दोनों पक्षकार पुरुष हैं, प्रत्येक ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है; या

(ख) यदि दोनों पक्षकार महिलाएं हैं, प्रत्येक ने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है।''।

धारा 15 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 15 में, खंड (क) में, ''पति–पत्नी'' शब्दों के स्थान पर ''जीवनसाथी'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

धारा 22 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 22 में, ''पति या पत्नी'' शब्दों के स्थान पर ''जीवनसाथी'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

धारा 23 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 23 में, खंड (*1*) में, ''पति या पत्नी द्वारा'' शब्दों के स्थान पर, ''दोनों में से किसी जीवनसाथी द्वारा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 5

धारा 27 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 27 में, खंड (*1*) में, ''पति या पत्नी द्वारा'' शब्दों के स्थान पर, ''दोनों में से किसी जीवनसाथी द्वारा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष 2018 में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 के एक पुराने, कठोर विधान, अर्थात् धारा 377 को रद्द कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय (नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ) के माध्यम से, समलैंगिकता को प्रभावी ढंग से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यद्यपि यह एक बहुत ही आवश्यक और प्रगतिशील कदम था, लेकिन एलजीबीटीक्यूआईए व्यक्तियों को अभी भी समाज के भीतर उत्पीड़न, भेदभाव और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति के.एस. पट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के मामले में टिप्पणी की कि 'परिवार, विवाह, वंश–वृद्धि और लैंगिक उन्मुखता सभी व्यक्ति की गरिमा के अभिन्न अंग हैं। इन सबसे ऊपर, व्यक्ति की निजता यह निर्धारित करना एक अनुलंघनीय अधिकार मानती है कि स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे किया जाएगा'।

किसी व्यक्ति की लैंगिक उन्मुखता को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि एलजीबीटीक्यूआईए व्यक्ति अभी भी विवाह करने और अपना परिवार बनाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, एलजीबीटीक्यूआईए युगलों के पास वे अधिकार नहीं हैं जो विषमलिंगी युगल विवाह के बाद पाने के हकदार हैं, जैसे उत्तराधिकार, अनुरक्षण और पेंशन, आदि।

इसलिए, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने और विवाहित एलजीबीटीक्यूआईए युगलों को विधिक मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को बनाए रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि एलजीबीटीक्यूआईए युगलों को वे अधिकार प्रदान किए जाएं जिनके वे हकदार हैं।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली; **सुप्रिया सुले**

17 *जनवरी,* 2022

उपाबंध

[विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में से उद्धरण]

(अधिनियम संख्यांक 54 का 43)

* * * * *

अन्य रूपों में अनुष्ठापित विवाहों का रजिस्ट्रीकरण।

15. विशेष विवाह अधिनियम, 1872 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित विवाद से भिन्न विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित किया गया हो या उसके पश्चात् उन राज्य क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है विवाह अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात्:–

(क) पक्षकारों का परस्पर विवाह हो चुका है और वे तब से बराबर पति–पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं;

* * * * *

दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन।

22. जब पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से उचित कारण के बिना अलग कर लिया हो तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में आवेदन, अर्जी द्वारा, कर सकेगा और न्यायालय उस अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में तथा इस बारे में कि आवेदन को मंजूर न करने का कोई वैध आधार नहीं है, अपना समाधान हो जाने पर तद्नुसार दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगा।

न्यायिक पृथक्करण।

23. (*1*) न्यायिक पृथक्करण के लिए अर्जी पति या पत्नी द्वारा जिला न्यायालय में पेश की जा सकेगी,–

(क) धारा 27 की उपधारा (*1*) और (1क) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर, जिस पर विवाह–विच्छेद के लिए अर्जी पेश की जा सकती हो; अथवा

* * * * *

विवाह-विच्छेद।

27. (*1*) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्याधीन रहते हुए, विवाह–विच्छेद के लिए अर्जी जिला न्यायालय में पति या पत्नी द्वारा इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि–

(क) प्रत्यर्थी ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात् अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है; अथवा

* * * * *

* * * * *

लोक सभा

———————

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का और संशोधन
करने के लिए विधेयक

———————

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)